पीठासीन अधिकारी : वार सिंह RAS

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 201/2018

1. श्रीमति मंजु कुमारी पत्नी कालुरामजी आयु 45 वर्ष जाति मेघवाल निवासी–नया सानवाडा

.... प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिण्डवाडा।

.... अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : –

1. श्री उमेश पटेल प्रार्थी संख्या 1 की ओर से।
2. श्री तहसीलदार पिण्डवाडा पैरोकार सरकार पिण्डवाडा अप्रार्थी श्री सरकार जरिये तहसीलदार पिण्डवाडा की ओरं से।

दिनांक : 30.08.2019

आदेश

प्रार्थी की ओर से अप्रार्थी श्री सरकार जरिये तहसीलदार पिण्डवाडा के विरूद्व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 136 के अन्तर्गत इस न्यायालय में हमारे समक्ष प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी को मौजा नया सानवाडा के खसरा संख्या 805, 806, 807 व 857 रक्बा क्रमशः 0.02, 0.13, 0.03 व 1.08 कुल किता 4 कुल रक्बा 2.06 बीघा भूमि पूर्व में केसा पुत्र मगा मेघवंसी के नाम दर्ज की जिसमें खं सं. 857 रकबा 1.08 बीघा अशोक कुमार को बेचान कर दी व खसरा नं. 807 रकबा 0:03 बीघा व खसरा सं. 1833/806 रकबा 0.12 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 0.15 बीघा प्रार्थीया ने क्रय की है तथा खसरा सं. 805 रकबा 0.02 बीघा व खसरा सं. 806 रकबा 0.13 बीघा में से रकबा 0.01 बीघा भूमि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने राजमार्ग हेतु अवाप्त की है राजस्व नक्शे में त्रुटीवष खसरा संख्या 806 रकबा 13 बीस्वा की जगह केवंल 5 बिस्वा ख.स. 805 रकबा 2 बिस्वा की जगह त्रुटी से नक्शे में 5 बिस्वा 10 बिस्वासी तथा ख.स. 804 रकबा 2 बिस्वा की जगह नक्शे में 6 बिस्वा 10 बिस्वासी क्षैत्रफल का बना हुआ है तथा खसरा नं. 807 रकबा 2 बीस्वा की जगह गलती से खसरासं. 805 रकबा 2 बीस्वा अवाप्त होना गलत दर्शाया है जिसे दुरूस्त किया जावें। अप्रार्थी राजस्व सरकार की ओर से तहसीलदार पिण्डवाड़ा द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया, जिन्होनें प्रार्थी की बात का सर्मथन कर खसरा सं. 807 व 806 में वर्तमान सड़क 4 लाईन होना बताया है जबकी खसरा स. 807 में से भूमि अवाप्त नहीं हुई खसरा सं. 805 की रकबा 2 बीस्वा अवाप्त हुई , जमाबन्दी में दर्ज रकबा ओर नक्सा पैमाईस अनुसार रकबा में भिन्नता है। अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया है कि खसरा सं. 807 राजमार्ग में अवाप्त नही हुआ है गलती से 805 की जगह 807 नक्शे में अंकित है। तथा नक्शे के पैमाने व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज रकबा में अन्तर है। पुराने ख सं. 1068 के रकबा 0.04 बीघा के नये खसरे 804 रकबा 0.02 बीघा व 805 रकबा 0.02 बीघा बने है। खसरा सं. 806 का क्षैत्रफल 0.13 बीघा दर्ज था किन्तु नक्शे में 0.05 बीघा ही रकबा बनता है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व नक्शे की पैमाइश में त्रुटी होने से दर्ज रकबा को सुधार कर वास्तविक रकबा जो जमांबन्दी में दर्ज है इस अनुसार नक्शे में सुधार करने का निवदेन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज व जवाब अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया गया है।

न्यायालय प्रार्थी के बहस व अप्रार्थी के जवाब से सहमत होते हुए राजस्व नक्शे में हुई त्रुटी से दुरूस्त किया जाना उचित मानता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि उक्त खसरा नम्बर 805, 806 व 807 व 804 के राजस्व नक्शे में त्रुटी को दुरूस्त किया जाकर जमाबन्दी में दर्ज रकबा अनुसार सुधार किया जावे तथा राजमार्ग में अवाप्त खसरा स. 805 को नक्शे में खसरा सं. 807 की जगह व 807 को खसरा सं. 805 की जगह अंकित किया जावें।

(वार सिंह)

भू अभिलेख अधिकारी, पिण्डवाडा

सहायक कलेक्टर, पिण्डवाडा

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर दिनांक 30.08.2019 को हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय सुनाया